

शुभ्या मित्र लाल  
23/12/18  
24.12.18

520

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
॥ कार्यालय आदेश ॥

संचिका सं०-04/NULM-26/16

856

पटना, दिनांक- 24/12/18

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत SM&ID घटक के अधीन 30 नगर निकायों में गठित किये गये 990 स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दी जाने वाली आवर्ती राशि (Revolving Fund) प्रति स्वयं सहायता समूह रू० 10,000.00 (दस हजार रू० मात्र) की दर से 990 X 10,000.00 = कुल राशि रू० 9900000.00 (निन्यानवे लाख मात्र) स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर निकायवार विमुक्त की जाने वाली स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	SHG की संख्या	कुल राशि रू० (प्रति SHG रू० 10,000/- )
1	2	3	4
1.	मनिहारी	20	200000.00
2.	बक्सर	20	200000.00
3.	मोहनियाँ	13	130000.00
4.	बहादुरगंज	15	150000.00
5.	डुमराव	80	800000.00
6.	मसौड़ी	16	160000.00
7.	बिहियाँ	22	220000.00
8.	कटैया	18	180000.00
9.	मोतीपुर	28	280000.00
10.	दलसिंहसराय	26	260000.00
11.	पीरो	43	430000.00
12.	बीहट	40	400000.00
13.	ठाकुरगंज	22	220000.00
14.	जोगबनी	20	200000.00
15.	चनपटिया	40	400000.00
16.	बरौली	20	200000.00
17.	फतुहा	15	150000.00
18.	बख्तियारपुर	25	250000.00
19.	किशनगंज	22	220000.00
20.	मीरगंज	18	180000.00
21.	शाहपुर	4	40000.00
22.	विक्रमगंज	35	350000.00
23.	गोपालगंज	32	320000.00
24.	इस्लामपुर	22	220000.00
25.	जनकपुर	10	100000.00
26.	बिहारशरीफ	150	1500000.00
27.	बेनीपुर	17	170000.00
28.	बांका	136	1360000.00
29.	कसरिया	42	420000.00
30.	चकिया	19	190000.00
	कुल योग-	990	9900000.00

(निन्यानवे लाख रू० मात्र)

24/12/18

2. संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी स्वीकृत राशि का भुगतान स्वयं सहायता समूह (SHG) को RTGS के माध्यम से करेंगे।
3. नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि :-
  - (I) चक्रचालित राशि (Revolving Fund) का वितरण पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।
  - (II) पात्र SHG को पूर्व में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है।
  - (III) किसी भी SHG को दो बार चक्रचालित राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
  - (IV) SHG द्वारा चक्रचालित राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों हेतु किया जा रहा है।
4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

*[Handwritten Signature]*  
24/12/18

विशेष सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/NULM-26/16

3305

दिनांक- 24/12/18

प्रतिलिपि :-अपर सचिव-सह-उप निदेशक/ संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
24/12/18

विशेष सचिव-सह-निदेशक।

*[Handwritten Mark]*

*[Handwritten Mark]*